

1

A/E

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)**  
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
65/अपील/2017	13.02.2017	19.07.2019

रणवीर सिंह उर्फ रणधीर सिंह आ. नृसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)  
— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 25.11.2016  
नायब तहसीलदार, दबलाना  
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री नारायण सिंह, अभिभाषक।  
रेस्पोंडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार।

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 12 बीघा, खसरा नं. 563/636 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 563/637 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल जप्ती से बेदखली, पैनाल्टी 3775/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज०)

स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में विहित किसी भी प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दी है न ही विधिक रूप से तामील करवाई गई है। अपीलान्त को अपीलाधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं ना ही उनका भूमि पर कब्जा है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में पैनाल्टी जमा करवा चुके है। कोई बकाया नहीं है। अपीलान्त द्वारा जो द्वितीय अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्त का कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये जाकर अपीलान्त को 90 दिवस की कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

परोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत् नोटिस दिया गया है जो बाद तामील पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्त ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा

अति० जिला कलक्टर  
बन्दी (राज०)

है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

; पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)  
अतिरिक्त ज़िला कलक्टर,  
अति० बूढ़ा (राज०)  
बन्दी (राज०)